न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 29/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कमला पुत्री खैराती पत्नि हरगोविन्द जाति ब्राह्मण निवासी टोडा नागर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल निवासी अलवर राम0 ।
2. शारदा पुत्र खैराती पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी टोडा नागर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल निवासी गोपालपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. देवी सहाय,
2. सेडूराम,
3. महेशचन्द पुत्रान खैराती जाति ब्राह्मण निवासी टोडा नागर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. मीरा पत्नि छोटेलाल जाति नाई निवासी पिनान तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. पुष्पा देवी पत्नि मुकेश चन्द जाति नाई निवासी खोहरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 – फौत
   5/1. भारतभूषण,
   5/2. कुलदीप पुत्रान श्री मुकेश चन्द सैन,
   5/3. प्रियंका,
   5/4. निधि पुत्रीयान श्री मुकेशचन्द जाति नाई निवासी ग्राम खोहरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
6. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–
1.श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2.रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।
3.श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो0 4 व 5
4.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

18/11/19

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 47 रकबा 0.22 है0, 83 रकबा 0.35 है0, 89 रकबा 0.51 है0, 90 रकबा 0.52 है0 किता 4 कुल रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है । उक्त आराजी सायलान व गैर सायलान 1 ल0 3 के संयुक्त खातेदारी की आराजी थी । गैर सायलान 1 ल0 3 के पिता मृतक खैराती की बुर्जुगानी पैत्रक जायदाद है जिसमें मृतक खैराती के तीन पुत्र व दो लड़कियां सभी का 1/5–1/5 हिस्सा है । सायलान व गैर सायलान 1 ल0 3 उक्त विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी मौके पर सायलान 2/5 भाग पर काबिज है । गैर सायलान 1 ल0 3 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने मृतक खैराती की विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि मृतक खैराती के पांचों वारिसों का नाम नामान्तकरण होना चाहिए था । उक्त विरासत इन्तकाल बातिल व बेअसर शून्य है । सायलान 2/5 भाग की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । गैर सायल नं0 3 महेश चन्द ने गलत इन्द्राज की आड़ में विवादित आराजी का 1/3 भाग गैर सायल नं0 4 व 5 को 10.04.2014 को बिना प्रतिफल व कब्जा के बेचान कर दिया जबकि गैर सायल नं0 3 को अपने 1/5 हिस्से को ही बेचान करने का हक था । गैर सायलान के मना करने पर झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं । गैर सायल नं0 4 व 5 ने कहा कि विवादित आराजी के 1/3 भाग का हमने गैर सायल नं0 3 से खरीद लिया है । इस प्रकार गैर सायलान राजीखुशी से बाज नहीं आ पा रहे हैं । गैर सायलान अगर अपने नापाक इरादें में सफल हो गये तो सायलान को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । अतः गैर सायलान को 2/5 भाग के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करने व जबरन बेदखल न करने तथा गैर सायलान नं0 4 व 5 बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं कराने व रहन, बय नहीं करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर सायलान का प्रार्थना पत्र दि0 25.08.2015 को खारिज कर लिया जिस निर्णय दिनांक 25.08.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 व हम अपीलांट के पिता मृतक खैराती की बुर्जुगानी पैत्रक जायदाद है जिसमें मृतक खैराती के 3 पुत्र व 2 लड़किया अपीलांट्स सभी बहिस्सा बराबर यानि 1/5–1/5

हिस्सा खातेदार काश्तकार है और अपने–अपने हिस्से की आराजी पर शामलात में शांतिपूर्वक काबिज हैं । विवादित आराजी का कोई लिखित या मौखिक विभाजन सह खातेदारान के मध्य आज तक नहीं हुआ है । विवादित आराजी में हम अपीलांट 2/5 हिस्से पर काबिज हैं । विवादित आराजी से रेस्पो0 का कोई संबंध, वास्ता व सरोकार नहीं है और रेस्पो0 सालिम आराजी से गैर काबिज एवं गैर वास्ता शख्स हैं और अपीलांट को जबरन बेदखल करने पर उतारू हो रहे हैं जिसका कोई नैतिक एवं विधिक अधिकार रेस्पो0 को नहीं है । तहत न्यायालय ने बिना साक्ष्य एवं रेकार्ड का अवलोकन किये बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित पारित किया है जिससे अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

बहस में आगे कहा कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करने से पूर्व प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के कानूनी बिन्दूयों का निस्तारण अलग–अलग परिप्रेक्ष्य में करना जरूरी था लेकिन तहत न्ययायालय ने उक्त बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत करते हैं तथा बिना विभाजन विवादित आराजी को विक्रय करने के प्रयास में हैं जिससे प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति अपीलांट के पक्ष में बखूबी साबित है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कहना है कि सन् 1985 में खैराती का इन्तकाल दर्ज हुआ । अपीलांट ने पहले कोई उज्र नहीं किया और जब महेश ने आराजी बेचान की तो अपील पेश कर दी । दि0 14.04.2014 को महेश ने अपना 1/3 हिस्सा मीरा, पुष्पा देवी को बेचान कर दिया । स्थगन के कारण हमारा इन्तकाल रूक गया जबकि हमने विवादित आराजी का बयनामा कराया है । अस्थाई निषेधाज्ञा में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा । देवीसहाय, सेडूराम व महेश 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार है । रेस्पो0 बयनामा से खातेदार हो गये । रेस्पो0 का कब्जा है । हमारी फसल को नष्ट कराने की कोशिश की तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है जिसमें चार्जशीट पेश की है जिसमें परिवादी का कब्जा माना है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करने की प्रार्थना की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 25.08.2015 का अवलोकन किया ।

अपील में यह उज्र है कि अपीलांट का भी विवादित आराजी में 1/5–1/5 हिस्सा है तथा उनके भाई महेश का 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/5 हिस्सा है । अतः बयनामा गलत है । मौके पर वादी / अपीलांट का कब्जा है । अतः रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई स्थगन आदेश जारी करने की प्रार्थना की ।

रेस्पो0 अभिभाषक का तर्क है कि सन् 1985 में विरासत दर्ज हुई है तब से लेकर 2014 तक कोई आपत्ति पेश नहीं की और ना ही दावा पेश किया । रेकार्ड में वादी/अपीलांट का खातेदार के रूप में नाम दर्ज नहीं है । अतः इनके पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । रेस्पो0 ने तहत न्यायालय के निर्णय को

सही बताया तथा कानूनी नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2013 पेज 432–36 का हवाला दिया । यह भी कहा कि रेस्पो0 रजिस्टर्ड बयनामा से खातेदार हैं तथा कब्जा काश्त रेस्पो0 सं0 4 व 5 का है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

बहस पर मनने करने व कानूनी नजीर के अवलोकन से निम्न बिन्दू स्पष्ट है कि अपीलांट अभी रेकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं है तथा अपनी खातेदारी की घोषणा तहत न्यायालय से चाही है । अतः कब्जा संबंधी प्रार्थना तहत न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गयी है जिससे यह न्यायालय भी सहमत है । जहां तक बयनामा का प्रश्न है । रजिस्टर्ड बयनामा से रेस्पो0 को जब तक तहत न्यायालय अपीलांट के अधिकारों की घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक रेस्पो0 सं0 4 व 5 को ही हिस्से अनुसार खातेदार माना जायेगा ।

तहत न्यायालय द्वारा यह भी तय किया जाना है कि यह आराजी पैत्रक है या स्वयं खैराती की पैदाकर्ता है और उसमें अपीलांट का क्या हित निहित है । यह वाद के निर्णय से ही तय होगा । तब तक रेस्पो0 सं0 4 व 5 को उसके रजिस्टर्ड बयनामा के प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है परन्तु वाद में आगे विवादित आराजी को आगे रहन, बय एवं मुन्तकिल से रोका जाना भी उचित है जिससे कि वाद बहुलता नहीं बढ़े ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दि0 25.08.2015 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पो0 सं0 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी को आगे रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करें तथा रेस्पो0 सं0 4 व 5 को भी पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी को आगे बयनामा के आधार पर रेकार्ड में तो अंकन करा सकते हैं परन्तु आगे 1/3 हिस्से को कही भी मूल वाद के निर्णय तक रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर